



HEI Response: Metric ID 6.4.2

As desired in DVV clarification, the complete details of Copy of the sanction letters received from government bodies for development and maintenance of infrastructure are attached as per Table of Content given below: **Here it is worthwhile to mention that sometimes the Grant received in one financial year is carry forward to the subsequent financial years but proof is given when that grant is received.**

Table of Contents

S. No.	Academic Session	<u>Title of proof</u>	<u>Page No</u>
1.	2021-22	A. Grant Letter of amount Rs 15 Cr from AKTU under DDQIP B. Grant Letter of amount Rs. 16.50 Lakhs from AICTE under RUSA	1-5 6
2.	2020-21	A- Grant letter of amount Rs. 86.75 Lakhs from AICTE under RUSA B- Grant letter of amount Rs. 196.00 Lakhs from State Government under RUSA C- Grant letter of amount Rs. 109.00 Lakhs from State Government under RUSA D- Hindi to English Translation of A+B+C E- Amount. Rs. 410 Lakhs from AKTU under DDQIP	7-9 10-12 13-15 16-18 19
3.	2019-20	A. Grant letter of amount Rs. 99.56 Lakhs from State Government, U.P. B. Grant letter of amount Rs.109.00 Lakhs from State Government, U.P C. Grant letter of amount Rs. 363.25 Lakhs from State Government, U.P D. Grant letter of Amount Rs 196.51 Lakhs from State Government, U.P E. Grant letter of Amount Rs 120.53 Lakhs from State Government, U.P F. Grant letter of amount Rs 161.58 Lakhs from State Government, U.P G. Grant letter of amount Rs 176.07 Lakhs from State Government, U.P H. Hindi to English Translation of A+B+C+D+E+F+G	20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-47



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

4.	2018-19	A. Grant Letter of amount Rs. 435.90 Lakhs received State Government, U.P.	48-49
		B. Grant Letter of amount Rs. 310.00 Lakhs received State Government, U.P	50-52
		C. English translation of A+B	53-54
		D. Amount Rs. 165.95 Lakhs granted from the University budget.	55-56
		E. Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 191.77 lakhs received from University income	57-58
5.	2017-18	A. Grant Letter of Amount Rs. 30 Lakhs from State Government, U.P	59-60
		B. Grant Letter of Amount Rs. 137.06 Lakhs, from State Government, U.P	61-63
		C. Grant Letter of Amount Rs. 230.29 Lakhs, from State Government, U.P.	64-66
		D. Grant Letter of Amount Rs. 1000.00 Lakhs	67-69
		E. Grant Letter of Amount Rs. 340 Lakhs, from State Government, U.P	70-76
		F. English translation A+B+C+D	77-81
		G. Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 452.09 Lakhs received from University income	82-83

(Prof. S.K. Sharma)

Registrar

Harcourt Butler Technical University

Kanpur-208002

Grant Letter of Rs. 15 Crore from AKTU under DDQIP

भानु प्रताप सिंह
वित्त अधिकारी



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ- 226031
पत्रांक 17/48/10 / डा०ए०के०टी०यू/ वित्त समिति / वित्त मु० / 2017

दिनांक 02-08-17

सेवा में,

निदेशक

1. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।
2. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।
3. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा।
4. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।
5. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।
6. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।
7. यू.पी.टी.टी.आई., कानपुर।
8. बी.आई.ई.टी., झाँसी।
9. के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर।
10. कुलसचिव, एच.बी.टी.यू., कानपुर।
11. कुलसचिव, एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर।

महोदय,

इस पत्र के साथ दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ की, वित्त समिति की 48वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 17/48/10 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(भानु प्रताप सिंह)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :- स्टाफ ऑफिसर, कुलपति, ए.के.टी.यू., लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(भानु प्रताप सिंह)

वित्त अधिकारी

FC
S

AC-2
RKH

S. K. K.

संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी

संस्कृत विश्वविद्यालय का अन्य प्रमुख विभागों में प्रथम स्थान पर शिक्षण प्रशासनिक मंत्र पर वर्ष 2019-2020 में संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रथम संशोधित निधि ₹ 2,00,00,00,000 का सहायता दी जाने प्रस्तावित है। इनमें 10 प्रमुख संशोधित निधि संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ संस्थान आई.ई.टी., लखनऊ, वास्तुकला संकाय, लखनऊ तथा यू.पी.इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के.टी.पू., लखनऊ तथा दो अन्य प्राथमिक विश्वविद्यालयों (एम.एच.एम.टी.पू., गोरखपुर, एम.पी.टी.पू., कानपुर) को सहायता दी जाने प्रस्तावित है। इस योजना के मूल उद्देश्य निम्नवत है:-

इस योजना में निर्धारित धनराशि में से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं नव निर्माण, 40% धनराशि डिजिटलीकरण, शोध एवं रोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

- चयनित संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, नये निर्माण, प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण व उच्चीकरण।
कक्षाओं की संख्या, स्मार्ट कक्षाओं की संख्या, प्रयोगशालाओं, होस्टल्स, आवासों की संख्या में वृद्धि, खेल-कूद की सुविधाओं में वृद्धि।
- शोध को बढ़ावा देना।
शोध पत्रों का प्रकाशन, एच.टेक./पी.एच.डी. गाइडेड, पेटेन्ट्स की संख्या।
- अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।
सोलर प्लांट
- छात्र-छात्राओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना व ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल का सुदृढीकरण
स्थापित छात्र-छात्राओं की संख्या अधिकतम/न्यूनतम औसत पैकेज, कम्पनीज की संख्या जिन्होंने छात्रों का चयन किया, छात्र-छात्राओं की संख्या जो कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया।
- ई-संसाधनों का विकास
ई-फीस कलेक्शन, ई-टेण्डर नीलामियों में बढ़ोतरी, मूल्य का कम होना, गुणवत्ता में सुधार होना।
- दिव्यांगों हेतु सुविधाओं का विकास।
रैम्स/दिव्यांगों हेतु शांतिघर व एस्केलेटरी की संख्या में वृद्धि

क्रमांक	संस्था का नाम	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	₹.25.00 करोड़
2.	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,	₹.15.00 करोड़

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
5.	फकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर ए.क.टी.यू. लखनऊ।	₹.10.00 करोड़
6.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बौध।	₹.10.00 करोड़
7.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।	₹.10.00 करोड़
8.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़।	₹.10.00 करोड़
9.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।	₹.10.00 करोड़
10.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।	₹.10.00 करोड़
11.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।	₹.10.00 करोड़
12.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।	₹.10.00 करोड़
13.	UPRO इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ए.क.टी.यू. नोएडा।	₹.10.00 करोड़
14.	सेटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.क.टी.यू. लखनऊ।	₹.15.00 करोड़

2. अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1.	मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर।	₹.15.00 करोड़
2.	हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर।	₹.15.00 करोड़

यह योजना तीन वर्षों की होगी, जिसमें कुल ₹.200.00 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिये संस्थाओं को पी.एफ.एम.एस. में पंजीयन कराना होगा और सीधे भुगतान किया जाएगा। सभी खरीद ई-टेंडर अथवा जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। सभी अनुरक्षण कार्य ई-टेंडर के माध्यम से की जायेगी। सभी नये निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम लिमिटेड इत्यादि के माध्यम से कम्पटीबल बिल्डिंग के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के ग्राण्ट इन एड के लिये निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा और व्यय हेतु बजट में मैनुअल में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अवरोक्त योजना की धनराशि विश्वविद्यालय के रेगुलेशन 4.26(II) के अन्तर्गत

English Translation of Highlighted Items

Bhanu Pratap Singh
Finance Officer

Dr. A K T U Technical University, U.P.

Dated: 04/08/17

To

10. Registrar, HBTU, Kanpur

2. Other Technical Institute

S. No.	Name of the University	Approved Grant
2.	Harcourt Butler Technical University, Kanpur	Rs. 15.00 Cr

Grant Letter of Rs. 16.50 Lakhs from AICTE, New Delhi

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

F. No. AICTE/RIFD/Hostel for SC-ST/(Pol-1st)/10/2012-13

Dated: 09.11.2019

The Drawing and Disbursing Officer
All India Council for Technical Education
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Sub: Release of Grant-in-Aid under SC/ST Students Hostel Grant Scheme payable during the current financial year 2019-20.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the Council for payment of Rs.16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only) being the 3rd & Final Installment during the year 2019-20 under the SC/ST Students Hostel Grant Scheme as Grant-in-Aid for meeting the expenditure for implementing the Scheme as per details given below:

1	Name of the Beneficiary Institution (College / Institution)	HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY, NAWABGANJ, KANPUR NAGAR-208002, UTTAR PRADESH
2	Coordinator's	REGISTRAR/PRINCIPAL/DIRECTOR
3	Title of the Project	SC/ST STUDENTS HOSTEL GRANT
4	Grant-in-aid Sanctioned	Rs.2,00,00,000/- (RUPEES TWO CRORE ONLY)
5	1 st Installment Released	Rs.1,00,00,000/- (RUPEES ONE CRORE ONLY)
6	2 nd Installment Released	Rs.77,20,000/- (11 th instalment being 40% of sanctioned amount) (Rs.80,00,000/- less interest of Rs.2,80,000/-)
7	3 rd & Final Installment to be released	Rs.16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only) (3 rd Installment being 10% of sanctioned amount i.e. Rs.20,00,000/- less interest of Rs.3,50,000/-)

- The sanctioned grant-in-aid is debit to the major Head, SC/ST Students Hostel Grant under Plan and is valid for payment during the financial year 2019-20 on EAT module of PFMS portal.
- The grant-in-aid of the grant shall be drawn by the Drawing and Disbursing Officer (DDO), All India Council for Technical Education, New Delhi on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to the account of Registrar/Director/Principal through e-Payment System.
- The date of release of the grant by AICTE shall be taken as the date of commencement of the project. The Principal/Director/Registrar shall intimate about the receipt of the grant to AICTE.
- Each project sanctioned by AICTE is assigned a specific Ref. No. given. All correspondences related to the project must contain this number along with year of sanction of the project, failing which correspondence will not be entertained.
- The accounts of the grantee which are liable to be audited by the Council or Comptroller and Audited General of India or by any Officer designated for the purpose.
- The institute/College shall not charge any overheads on this project and will provide all the administrative support for completion of the project.

Contd...2

AL-27
10/12/19
sm

F.C
for m.a.-pl.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
10/12/19

Grant Letter of Rs. 86.75 Lakhs from State Government under RUSA

संख्या: 02/2021/335/संलग्न-1-2021-09(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

संलग्नक: दिनांक: 11 फरवरी, 2021

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रुसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार की परियोजना हेतु रुसा योजना के अंतर्गत परियोजना की अनुमोदित लागत ₹0 55.00 करोड़ (केन्द्रांश ₹0 33.00 करोड़ व राज्यंश ₹0 22.00 करोड़) के सापेक्ष अब तक कुल ₹0 2663.25 लाख की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार निर्गत की जा चुकी है-

संलग्नक दिनांक	कुल निर्गत धनराशि	केन्द्रांश			राज्यंश		
		47	83	81	47	83	81
03.01.2017	850.00	-	-	-	520.00	130.00	-
29.03.2018	1800.00	1000.00	-	-	-	-	-
31.03.2018	340.00	-	340.00	-	-	-	-
30.03.2019	310.00	248.00	62.00	-	332.50	-	-
28.01.2020	363.25	30.75	-	-	852.50	130.00	0.00
योग	2663.25	1278.75	402.00	0.00	852.50	130.00	0.00

2. सूच्य है कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अपने पत्रांक-2116/एसपीडी/रसा/79(यु)/15-16 दिनांक 29.01.2021 द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रायोगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रुसा के अंतर्गत राज्यंश की अवशेष धनराशि ₹0 ₹0 86.75 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि केन्द्रांश की अगली किश्त प्राप्त किया जा सके।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार की परियोजना हेतु राज्यंश की अवशेष कुल धनराशि ₹0 86.75 लाख (₹0 छियासी लाख पचाहत्तर हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रसंगगत निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ, मात्रक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी विश्वविद्यालय की होगी।

CG/RO/Cat/21
22/02/21

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अनुरोधकर्ता को आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रतिलिपि को वेबसाइट <http://shasanadesh.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Chandra

7

- (2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) प्रसंगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका खर्च प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) प्रायोजना के आगमन में वजित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार अम विभाग को किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पीएसपी में नहीं रखी जायेगी।
- (6) कार्यदायी संस्था प्रथमसंस्था निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (7) प्रायोजना से सम्बंधित अन्य विभागों से समस्त क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (8) अवशुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (9) अनुदान संख्या-83 व 81 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) प्रायोजना का निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (11) उपरोक्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक व्यय करते हुए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली ऑडिट आपत्तियां एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, विश्वविद्यालय उत्तरदायी होंगे।

2. स्वीकृत धनराशि ₹0 86.75 लाख में से ₹0 4.25 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा-खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिष्कार-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य तथा ₹0 82.50 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के मद अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिष्कार-02-तकनीकी शिक्षा-796-अनुसूचित जात जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, संख्या-11/2020/बी-1-686/दस-2020-231/2020 दिनांक 03.12.2020 तथा संख्या-12/2020/बी-1-706/दस-2020-231/2020 दिनांक 09.12.2020 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भयदीप

(सुनील कुमार घोषरी)
विशेष सचिव

संख्या-02/2021/335 (सीआर-1-2021-9(बजट-3)/2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शांती भवन, नई दिल्ली।
- (2) उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा), राज्य परियोजना निदेशालय, उ०प्र०।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार (आडिट), उ०प्र०, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) मुख्य/वरिष्ठ कौशलधिकारी, कानपुर।
- (8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- (10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
- (12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव

संख्या:11/2023/580/सोलह-1-2021-9(बजट-7)2011

श्रेष्ठक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तखत: दिनांक 04 मार्च, 2021

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1114/मैट/21 दिनांक 23.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोजिता प्रमाण पत्र, प्रस्तावित प्रमाण पत्र तथा परियोजना के कार्यों की अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रु० 196.00 लाख की धनराशि अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-19/सोलह-1-2020-अनुसूची-7/2011 दिनांक 24.03.2020 द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रु० 392.51 लाख(जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु० 196.51 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा रु० 196.00 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रु० 196.00 लाख (रु० एक करोड़ छियात्तवे लाख मात्र) निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रस्तावित निर्माण कार्य की दिशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

Chairman, Matre / R

- (5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं हस्तान्तरण प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (6) अद्यतन धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि विश्वविद्यालय/संस्थान के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (7) प्रस्तुत धनराशि बैंक खाता/पीओएस/एओ में नहीं रखी जायेगी।
- (8) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एसओसी/एसओपी/टीओएस/पीओ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिश-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमोदनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रगति (इन्फोकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है।
- (12) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबल से धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विधायक प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (14) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मन्त्रालय को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (15) प्रायोजना में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान/इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
- (16) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेंज चार्ज लिया जायेगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्तियां एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तरदायी होंगे।

2. चालू वित्तीय वर्ष 202-21 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रु० 196.00 लाख से से रु० 114.73 लाख का व्यय अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रायोगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रु० 81.27 लाख का व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-

तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिनांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिनांक 20.01.2021 में लिहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भारतीय

(सुनील कुमार शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या:-11/2021/580/शान-1-2021-9/बजट-7/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जखनपुर।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-02, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/विषय (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रक्रेष्ठ), कानपुर शासन।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

संख्या: 10/2021/581/सोना-1-2021-9(बजट-6)2016

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या दिनांक 09.04.2021

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/किम्प कार्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1113/मेंटा/21 दिनांक 23.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/किम्प कार्यालय के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उम्मेदित प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा परियोजना के कार्य की अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध करने हुए अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु रु0 109.05 लाख की धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-59/2019/2504/सोना-1-2019-9(बजट-6)2016 दिनांक 07.08.2019 द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/किम्प कार्यालय के निर्माण हेतु रु0 218.05 लाख+(जी.एस.टी. वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिक्रिया के रूप में रु0 109.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा रु0 109.05 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/किम्प कार्यालय के निर्माण हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रु0 109.05 लाख (रु एक करोड़ नौ लाख पाच हजार मात्र) निर्गत करने की श्री राज्यपाल के निर्दिष्ट शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में पूर्व के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

- (6) कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र/पीओसीओआरओ समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि जनपद स्तर के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पीओएलओएओ में नहीं रखी जायेगी।
- (9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एसओसीओएसओपीओटीओएसओपीओ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिश-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के अनुमोदित लागत के अंतर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अपतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दृष्टिगत (ड्रिलीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आरंभित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) प्रायोजना में प्रस्तावित जी०पी०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विन्यास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (15) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (16) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियाँ एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नए कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (18) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपतियाँ एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तरदायी होंगे।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रु० 109.05 लाख में से रु० 85.27 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-ग्रहत् निर्माण कार्य एवं रु० 23.78 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत

1. यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://sharanadash.wa.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिचय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद् के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय नाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिनांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिनांक 20.01.2021 में लिहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-10/2021/581/सोलह-1-2021-अ(बजट-6)/2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) शरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासना
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (11) गाई फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप शर्मा)
उप सचिव।

English Translation of Highlighted items

No.-02/2021/335/16-1-2021-9(Budget-3)/2018

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 11 Feb, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for development and expansion under RUSA

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the Grant of Amount **Rs. 86.75 Lakhs** (Eighty six Lakhs and seventy five thousands only) as state share from under RUSA....

English Translation of Highlighted items

No.-11/2021/580/16-1-2021-9(Budget-7)/2011

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 09 march, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction of Boundary Wall

3. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Amount **Rs. 196.00 Lakhs** (One Crore Ninety Six Lakhs only) to to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Boundary Wall on various condition as given below

English Translation of Highlighted items

No.-10/2021/581/16-1-2021-9(Budget-6)/2016

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 09 march, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction Vice-Chancellor House/ camp office

2. With Reference to Government order No.-59/2019/2505/16-1-2019-9(Budget-6)2016
dated 07.08.2019, Amount **Rs. 109.00** lakhs as a Instalment

Harcourt Butler Technical University, Kanpur
 Nawabganj
 Kanpur
 State Name : Uttar Pradesh, Code : 09
 E-Mail : fc@hbtu.ac.in

Payment Voucher

No. ~~475~~ 18/18/2020/Multipurpose Hall/IT & Stollament/2020-21 Dated : 10-Dec-2020

Particulars	Amount
Account : EE CD-20 UP Awas Vikas Parishad Kanpur HBTU Multipurpose Hall WC 3,93,60,000.00	3,93,60,000.00
GST TDS @2%	8,20,000.00
T D S PAYABLE Income Tax @2%	8,20,000.00

Through :

08/12/2020/18/2020/18/19

In Account of :

Being amount paid New Construction of Multipurpose Hall WC against demand letter no.-993/D-49/9 dt.-26/08/2020 vide ch. no.-024801,GST ITIS ch no -024802 and IT TDS ch. no.-024803 dt.-10/12/2020

Amount (in words) :


INR Four Crore Ten Lakh Only

₹ 4,10,00,000.00

[Signature]
 Authorised Signatory

[Signature]
 PAO

[Signature]
 Receiver's Signature
 8/12/2020



Grant Letter of Rs. 99.56 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या-2163/सोलह-1-2014-अवकाश-11/2011

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

दखनः दिनांक 28 अगस्त, 2019

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेड छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-848/मैटन/19 दिनांक 21.02.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेड छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन रु 1055.20 लाख के संबंध में अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूचित है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3493/सोलह-1-2014-9(बजट-11)/2011 दिनांक 28.11.2014 द्वारा अनुमोदित लागत रु 880.25 लाख के समक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पूर्व पुनरीक्षित लागत रु 880.25 लाख के स्थान पर रु 1031.38 लाख (जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार करों की लागत को पुनः पुनरीक्षित किया गया है, अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेड छात्रावास के निर्माण हेतु रु 1031.38 लाख (रुपय दस करोड़ एकतीस लाख अड़तीस हजार मात्र) (जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर निर्माणसार द्या) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतर की अवशेष धनराशि रु 151.13 लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अनुदान संख्या-47 में से रु 79.66 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 19.90 लाख अर्थात् कुल रु 99.56 लाख (रु नब्बानवे लाख छप्पन हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी

कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सैस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

20 इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इस को प्रमाणित करने के लिए कृपया वेब साइट <http://www.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य से व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (7) अंकमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पीएलएच में नहीं रखी जायेगी।
- (9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एफओसी/एलसी/पीओ/टीओएस/पीओ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार सभस्त आवश्यक वैधानिक अनुपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की दुधिरावृत्ति (डूप्लीकैसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजन की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आरंभित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
- (14) प्रायोजन में प्रस्तावित जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (15) प्रायोजन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मन्त्रिओं की आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (15) प्रायोजन में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (16) प्रायोजन में प्रस्तावित विशिष्टियाँ एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगमन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि में से रु 79.66 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रु 19.90 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-693/दस-2019 दिनांक 31 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भारतीय
(अरुण कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-2163/सोनह-1-2019-अ/बजट-11/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (9) सभाज कल्याण (बजट प्रकाश), उ0प्र0 शासन।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण किशोर)
उप सचिव।

Grant Letter of Rs. 109.00 Lakhs from State Government, U.P.

श्री
 डॉ. नरेश कुमार
 विशेष अधिकारी
 उच्च प्रदेश शासन।
 लखनऊ में,
 कुलसचिव,
 हरकोट नटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
 काजपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **संज्ञक संख्या: 401/अनुराध**
विषय- हरकोट नटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, काजपुर में कुलसचिव आवास/कैम्प कोषालय के निर्माण
केत धनराशि अधनूकृत किये जाने के संबंध में

उपरोक्त विषयक आपकी पत्रांक-124/मैटेल सं/ 18 दिनांक 01/05/2018, पत्रांक-401/अनुराध/पंजीगत मांग/2018 दिनांक 30/10/2018 एवं पत्रांक-219/मैटेल सं/ 19 दिनांक 08/02/2019 में संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक निरीक्षण के बाद हरकोट नटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय काजपुर में कुलसचिव आवास/कैम्प कोषालय के निर्माण हेतु कार्यवाही संस्था द्वारा आवास एवं कैम्प कोषालय द्वारा प्रेषित आगमन सं 218.05 लाख (दो सौ अठ्ठासी हजार मात्र) के आधार पर नियमानुसार (एस) की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रथम किराए के रूप में अनुदान संख्या 401 में सं सं 87.00 लाख एवं अनुदान संख्या 401 में सं सं 22.00 लाख अर्थात् कुल रु 109.00 लाख (एक लाख नौ सौ अठ्ठासी हजार) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशेषताओं मानक व गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कार्यवाही संस्था कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रसंग 369 एच के अनुसार प्राविधानों एवं संसद-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (3) प्रस्तावित धनराशि जिस कार्य/मंड में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उचित कार्य/मंड में किया जाएगा।
- (4) संस्था असे की धनराशि का भुगतान नियमानुसार ग्रम विभाग की किया जाएगा।
- (5) संस्था की स्थिति प्रस्तावित निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (6) कुलसचिव, हरकोट नटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, काजपुर के संस्था से कार्यवाही संस्था उपरोक्तित प्रमाण पत्र समयांतरगत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (7) अधनूकृत धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु छह माह की अवधि के लिए आरक्षण धनराशि, अनुसूचित/अनुसूचित निर्याक, हरकोट नटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, काजपुर द्वारा कोषालय से आरक्षण कर कार्यवाही संस्था को उपलब्ध कराया जायेगी। कार्यवाही संस्था द्वारा

आगत
 सिद्धांत
 An SP
 10/11/19

CSO
 20/11/19
 20/11/19

1- इस शासनादेश को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इस पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रतिलिपि वेब साइट <http://sharad.gov.in> पर प्रकाशित की जा सकती है।

यदि अधिसूचना के (आय-व्यय) अनुभाग 3 के अन्तर्गत उक्त शर्तों पर (अनुभाग 3) के अन्तर्गत 22.01.2019 में निर्दिष्ट शर्तों पर अंतर्गत प्रस्ताव के लिए है।

उपरोक्त
सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा स्वीकृत

2019-2020 (बजट) 2019-20 (बजट) के अन्तर्गत
सर्वोच्च न्यायालय के नृपनारी एवं वकील कार्यवाही हेतु शर्तें

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रथमराज्य।
- (2) महालेखाकार, अडिटेड ग्रुप, उ०प्र०, प्रथमराज्य।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ वकील/वकील, कानपुर।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवस एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० आवस एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-10, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (11) गार्ड फाइल।

<http://shasanaup.nic.in>

आज्ञा है,
अध्यक्ष (शर्तें)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी शर्तों द्वारा जारी किया गया है, अनु-58 पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इन शासनादेशों की दृश्यता वेब साइट <http://shasanaup.nic.in> पर सत्यापित की जा सकती है।

Grant Letter of Rs. 363.25 Lakhs from State government,
U.P. under RUSA

संख्या: 249/सोलह-1-2020-अवजट-31/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तारीख: दिनांक 28 जनवरी, 2020

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/अनु0/2019 दिनांक 01.07.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्य के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्य के अवशेष निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रु 30.75 लाख एवं राज्यांश के रूप में रु 332.50 लाख अर्थात् कुल रु 363.25 लाख (रुपये तीन करोड़ तिरसठ लाख पच्चीस हजार) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के फ़स्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (6) कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2..

- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
 - (8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पीओएल/एओ में नहीं रखी जायेगी।
 - (9) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विबावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (11) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
 - (12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मौजयियों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/संकेत लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
 - (13) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी०एस०टी० की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
 - (14) प्रायोजना निर्माण कार्य ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।
3. स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना/सुदृढीकरण-24-यूहतु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-48/टस-2020 दिनांक 21 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अवदीय,

 (सुनील कुमार चौधरी)
 विशेष सचिव,

संख्या:- 249 /सोलाह-1-2020-9(बजट-3)/2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार, लेखा एवं इकाई, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
- (9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (10) पञ्चम निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- (11) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य मुख्यालय, कानपुर।
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (14) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

संख्या:-19/सोलह-1-2020-09(बजट-7)2011

प्रेषक,

मुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तखनक: दिनांक: 24 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-323/Maint 'C'/18 दिनांक 25.09.2018 व पत्रांक-554/Maint/19 दिनांक 30.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु ₹0 392.51 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹0 196.51 लाख (रुपये एक करोड़ छियानव लाख इक्यावन हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की द्वािराकृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आचछदित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मर्दा पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट होलिया।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 158.61 लाख व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिचय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 40.00 लाख अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिचय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नाम से डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या:-19/सोजर-1-2020-09(बजट-7)/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कन्नपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० आवास विकास परिषद, ईकाई, कन्नपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) मिजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

संख्या: 206/सोलह-1-2020-09(बजट-3)/2020

प्रेषक,

शुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तारीख: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का निर्माण करने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके 9वें दिनांक 108/07/2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कृपया का निदेश हुआ है कि सम्यक विधायकान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यंकित लागत रु० 120.53 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रु० 120.53 लाख (रुपये एक करोड़ बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मालधियों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://www.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) प्रायोजना की दृष्टिकोण से रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छेदित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पीएमएलएओ में नहीं रखी जायेगी।
 - (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
 - (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाय।
 - (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्ययप्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
 - (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
 - (10) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (11) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।
 - (12) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
 - (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 95.53 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिच्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय/विद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 25.00 लाख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद,

1- यह शर्तवश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

2- इस खर्चवश की प्रमाणिकता ईम साइट <http://bharatnagar.gov.in> में संकल्पित की जा सकती है।

कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष बजट योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहट निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या:-206(1) /सोलह-1-2020-09(बजट-3)/2020तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- (14) गाई फाइल।

आज्ञा से,
(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणीकृत वेब साइट <http://shasanadeshi.up.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-276सोसा-1-2020-09बजट-1V2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश श्रमण।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लघुसंज्ञा दिनांक: 26-मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें महिला छात्रावास के मेस ब्लॉक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु धनराशि अदभुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Main/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें छात्रावास के मेस ब्लॉक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत रु० 161.58 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रु० 161.58 लाख (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/खन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की दुरुवृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगपन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनसेवक इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनसेवक की पत्रगणिका वेब साइट <http://shasansewakshahar.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदानी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेंज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रथमतः धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य/मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अर्धीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्जीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 128.48 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिचय-02-तकनीकी शिक्षा-105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, कानपुर-24-बृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 33.10 लाख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिचय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-बृहद निर्माण कार्य/मद के नामे इलाज जायेगा।
3. यह आदेश विस विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

अवेदीय,
 (सुनील कुमार चौधरी)
 विशेष सचिव

1- यह शासनादेश प्रत्येक श्रेणी में जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब संकेत <http://shasanadesh.wa.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-276(1)सोवड-1-2020-09(बजट-1)2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, 30प्र0, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 30प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प्र0 शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र0 शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आजा से,

(अवध किशोर)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जागी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://up.saraladesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-275/सोतह-1-2020-09/बजट-2V/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संज्ञक: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षा के निर्माण हेतु धनराशि आवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Main/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विद्यारोपरान्त हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षा के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत ₹0-176.07 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्राप्ति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹0 176.07 लाख (रुपय एक करोड़ छहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की दविरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रस्तावित धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगमन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि व भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी लिख गया है, जतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रतिलिपि वेब साइट <http://shikshamandakshya.gov.in> से सतकपित की जा सकती है।

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल में प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 139.07 लाख के व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक-विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं ₹0 37.00 लाख के व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-80प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (मनीष कुमार चव्हारी)
 विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर इन्सालर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की पंजीयनता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-275(1)/सोतह-1-2020-09/बजट-2V2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित्त (अध्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (12) निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुंधति किशोर)

उप सचिव।

- 1- एक शासनद्वारा इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनद्वारा की प्रमाणीकृत वेब साइट <http://shahjahanpur.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

English Translation of Highlighted items

No.-2163/16-1-2019-9(Budget-11)/2011

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 02 Aug, 2019

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction of 400 Bedded Hostel

Sir,

3. In this reference, I am directed to state that from the Project Formation and Appraisal Department (PFAD), Rs.1031.38 lakhs (with GST) is revised estimated cost on the place of old revised estimated cost of Rs. 880.25 lakhs. After proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.99.56 Lakhs** (Ninety lakhs and Fifty six Thousands only) which is sum of 79.66 Lakhs (from Grant No.-47) and Rs. 19.90 Lakhs (from Grant No.83) for Construction of 400 Bedded Hostel in the Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

English Translation of Highlighted items

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 07 Aug, 2019

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction of VC house/Camp office

Sir

With reference to letter No. 124/Maint no.18 dated 01.05.2018, letter No .40/Anurakhsan panjikrita Maag/2018 dated 30.10.2018 and Letter No. 219/Maint/19 dated 08.07.2019, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.109.00 Lakhs (One Crore, Nine thousand only)** which is Sum of Rs. 87.00 lakhs (Grant No.-47) and Rs. 22 Lakhs (Grant No-86) for Construction of VC house/Camp office in Harcourt Butler Technical University, Kanpur

English Translation of Highlighted items

No.-249/16-1-2020-9(Budget-3)/2018

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 28 Jan, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Renovation, and expansion

Sir,

3. I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 363.25** Lakhs (Three Crore Sixty three lakhs, twenty five thousands only), which is sum of Rs.30.75 Lakhs (central fund share) and Rs. 332.50 Lakhs (State fund share) for Renovation, and expansion under RUSA.

English Translation of Highlighted items

No.-19/16-1-2020-9(Budget-7)/2011

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 24 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction of Boundary wall

3. With Reference to Letter No -323/Maint "C"/18 dated 25.09.2018 and Letter No. 554/Maint/19 Dated 30.12.2019, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.196.51 Lakhs (One Crore, ninety-six lakhs, fifty thousand only)** which is First Instalment of Amount Rs.392.51 Lakhs (with GST) for Construction of Boundary wall in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following conditions:

English Translation of Highlighted items

No.-206/16-1-2020-9(Budget-3)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur
for Construction of Training and Placement Cell on the Place of Old Library

Sir

With reference to Your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/Maint/19 dated 06.01.2020 , I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 120.53 Lakhs** (1 Crore twenty Lakhs fifty Thousands only) which is total valuated Grant Rs. 120.53 Lakhs (with GST) for Construction of Training and Placement Cell on the Place of Old Library Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following Conditions

English Translation of Highlighted items

No.-276/16-1-2020-9(Budget-1)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Mess Block and Common Room in 200 Seated Girls Hostel

Sir

With reference to your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/maint/19 dated 06.01.2020, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 161.58 Lakhs** (1 Crore, Sixty One Lakhs fifty eight Thousands only) which is total valuated Grant Rs. 161.58 Lakhs (with GST) for the Construction of Mess Block and Common Room in 200 Seated Girls Hostel in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following condition as given below:

English Translation of Highlighted items

No.-276/16-1-2020-9(Budget-1)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Classes and Rooms in Mechanical Engineering Department

Sir

With reference to your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/maint/19 dated 06.01.2020, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 176.07 Lakhs** (1 Crore, Seventy six Lakhs Seven Thousands only) which is total valuated Grant **Rs. 176.07 Lakhs** (with GST) for Construction of Classes and Rooms in Mechanical Engineering Department in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following condition as given below:

Grant Letter of Rs. 435.90 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या:-104/2018/3401/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

300

कुलसचिव
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
कानपुर

C.T.C

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 24 अक्टूबर, 2018

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षा के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-272/Maint/18 दिनांक 27.08.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षा के अवशेष कार्य हेतु द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासनादेश संख्या-34/सोलह-1-2017-9(बजट-6)/2016 दिनांक 03-01-2017 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु रु० 1089.77 लाख की एशांसकीय एवं विलीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रु० 435.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षा के अवशेष कार्य हेतु द्वितीय किशत के रूप में अनुदान संख्या-47 से रु० 348.72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रु० 87.18 लाख अर्थात् कुल रु० 435.90 लाख (रु० चार करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि राज्याभ्यन्तर महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टता, मात्रक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
- स्वीकृत धनराशि को वार हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी०एस०टी० की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- वेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

ह.च.वि.म.म./ए.ए.
S. Kumar
20/11/18

19
17-11

प्र.स. (कम.व.व)

218/20/Govd./10
19-11-18

2...

21
19/11/18

यह शासनादेश इंटरनैटिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasnadesh.up.nic.in> में सत्यापित की जा सकती है।
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

- (9) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वाविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आधुनिकित किया जाना प्रस्तावित है।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (11) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रु0 348.72 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रु 87.18 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के तहत डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/डस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिनित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-104/2018/3401(1)/सालह-1-2018-प्र(बजट-6)/2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, आर्किट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (6) प्रायोजना प्रबन्धक, यूनिट-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (7) विद्व नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (9) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- (10) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (11) गाई फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

300

कूल सचिव हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर

Grant Letter of Rs. 310.00 Lakhs from State Government under RUSA

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय:- हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

माहोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-584/मैटेन/2019 दिनांक 25.01.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत अवमुक्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रु 1990.00 लाख (केन्द्रांश रु 1340.00 लाख एवं राज्यांश रु 650.00 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु अनुदान संख्या-47 से रु 248.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रु 62.00 लाख अर्थात् कुल रु 310.00 लाख (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

- (7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
 - (8) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
 - (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कौषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कौषागार से आहरित करके दी जायेगी।
 - (10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दृष्टिकोण (डफ्लिकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (11) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
 - (12) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (13) प्रश्नगत आगणन/लागत का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि में से रु 248.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रु 62.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण(के60/रा40-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (9) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- (10) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (11) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (12) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
- (13) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (14) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (15) प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
- (16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

Dated: 24 Oct, 2018

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Subject: Regarding release of grant to HBTU Kanpur for new Construction of Chemical Engineering Building

3. In this regards, I am order to say that the Honourable Governor has approved the Grant of **Rs, 435.90 Lakhs** (Rs. Four Crore, thirty-Five Lakhs, ninety thousand only) in two- instalment (Amount Rs. 348.72 Lakhs (Grant No. 47) and Rs. 87.18 Lakhs (Grant No. 83) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for new Construction of Chemical Engineering Building.

No.-09/2019/767/16-1-2019-9(budget-3)/2018

Dated: 30 March, 2019

Sender,

Mr. Surjan
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Subject: Release of Grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur regarding renovation and Upgradation under RUSA

3. In this regards, I am order to say that the Honourable Governor has approved the Grant of **Rs. 310.00 Lakhs** (Three Crore, ten lakhs only) which is sum of Grant Rs. 248 Lakhs (Grant No.47+ Rs. 62 Lakhs (Grant No.-83), regarding renovation and Upgradation in Harcourt Butler Technical University, Kanpur under RUSA.

Harcourt Butler Technical University, Kanpur
Nawabganj
Kanpur

Addl.Proj. Manger UPRNN Unit-4 Kanpur
Ledger Account
Kanpur University
Kanpur

1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
15-3-2019	Cr (as per details)	Payment	912	12,48,520.00	
	GST TDS @2%	25,480.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	12,74,000.00 Cr			
	<i>Being 50% Advance paid for New Construction of New CC Road for North Gate of Main Building in East Campuse vide Ch No. 079602 & 079603</i>				
	Cr (as per details)	Payment	913	97,87,260.00	
	GST TDS @2%	1,99,740.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	99,87,000.00 Cr			
	<i>Being 50% Advance paid for repairing & Coloring of CED, Electrical & Electronics, CSE & MED building vide Ch No.079601 & 079603</i>				
31-3-2019	Cr (as per details)	Payment	981	14,21,510.00	
	T.D.S PAYABLE Income Tax @2%	29,615.00 Dr			
	GST TDS @2%	29,615.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	14,80,740.00 Cr			
	<i>Being 11nd Installment paid in Adv. for Renovation of Electrical & Electronics Department total sanction 51.06.00 Lac (Rs. 2604060/- already released) 30% of Rs 51.06.00 lac i.e. Rs.1480740/- paid vide Ch No. 079664</i>				
	Cr (as per details)	Payment	982	9,74,400.00	
	T.D.S PAYABLE Income Tax @2%	20,300.00 Dr			
	GST TDS @2%	20,300.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	10,15,000.00 Cr			
	<i>Being 11nd Installment paid in Adv. for Renovation of MED total sanction 35.00 Lac (Rs. 17.85/- lac already released) 30% of Rs 35.00 lac i.e. Rs.10.15 lac paid vide Ch No. 079664</i>				
	Cr (as per details)	Payment	984	24,03,148.00	
	T.D.S PAYABLE Income Tax @2%	50,066.00 Dr			
	GST TDS @2%	50,066.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	25,03,280.00 Cr			
	<i>Being 11nd Installment paid in Adv. for Renovation of CSED total sanction 86.32 Lac (Rs. 4316000/- already released) 30% of Rs 86.32 lac i.e. Rs.25.03 lac paid vide Ch No.079664</i>				
	Cr (as per details)	Payment	985	7,60,934.00	
	T.D.S PAYABLE Income Tax @2%	15,853.00 Dr			
	GST TDS @2%	15,853.00 Dr			
	CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18)	7,92,640.00 Cr			
	<i>Being 11nd Installment paid in Adv. for Renovation of Civil Engg.Deptt total sanction 27.35 Lac (Rs. 1395360/- already released) 30% of Rs 27.35 lac i.e. Rs. 792640/- lac paid vide Ch No.079664</i>				

Carried Over

1,65,95,772.00

continued ...

Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Addl.Proj. Manger UPRNN Unit-4 Kanpur Ledger Account : 1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
	Brought Forward			1,65,95,772.00	
31-3-2019	Dr (as per details)	Journal	958		1,65,95,772.00
	Capital WIP	1,68,20,992.00 Dr			
	GST TDS @2%	2,25,220.00 Cr			
	BEING AMOUNT FOR BUILDING RENOVATION TRF TO CAPITAL WIP				
				<u>1,65,95,772.00</u>	<u>1,65,95,772.00</u>

Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 191.77 lakhs
received from University income

BALANCE SHEET OF
HARCOURT BUTLER TECHNICAL
UNIVERSITY, KANPUR

FOR THE FINANCIAL YEAR

2018-2019



RAJIV MEHROTRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE FOR FIXED ASSETS-
COMPLETE DETAILS AVAILABLE IN VALUER REPORT-

Sl.	Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Opening Balance	Addition	Sale/Transfer	Closing Balance	Opening Balance	Addition	Adjustment	Closing Balance	Closing Balance	Opening Balance
1	Building	1000037552.72	10244300.00	0.00	1010281852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1010281852.72	1000037552.72
2	Equipments	154505060.04	6029189.35	0.00	160534249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160534249.39	154505060.04
3	Equipments-TEQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vehicles	3422412.00	2473023.00	0.00	5895435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5895435.00	3422412.00
5	Furniture & Fixtures	925508.00	431365.98	0.00	1356873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1356873.98	925508.00
6	Land	23759937000.00	0.00	0.00	23759937000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23759937000.00	23759937000.00
	Total	24918827532.76	19177878.33	0.00	24938005411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24938005411.09	24918827532.76


ACCOUNTANT


INTERNAL AUDITOR


ACCOUNTS OFFICER




FINANCE CONTROLLER

11

संख्या- 1/2018/4761/सोलह-1-2017-9(बजट-7)/2011

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटनर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संलग्न दिनांक: 02 जनवरी, 2018

विषय- हरकोट बटनर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य भवन में नग इडिंग हॉल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-830/Maint/2017, दिनांक 19.12.2017 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में निर्माणाधीन नग इडिंग हॉल के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूचित है कि शासन के पत्रांक-2099/सोलह-1-2014-9(बजट-7)/2011 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मुख्य भवन में नग इडिंग हॉल के निर्माण हेतु रु 120.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के तत्पश्चात् 50 प्रतिशत धनराशि रु 60.01 लाख में से प्रथम किस्त के रूप में रु 30.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरकोट बटनर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य भवन में नग इडिंग हॉल के अवशेष कार्य के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-47 में से रु 24.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 6.01 लाख अर्थात् कुल रु 30.01 लाख (स्वयं तीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कृत्या जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनःप्राप्ति न हो।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के पन्ना 369 एवं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसंधान किया जायेगा।
- (4) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/सद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/सद में किया जायेगा।

2...

- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पीएनएल में नहीं रखी जायेगी।
 - (6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार क्रम विभाग को किया जायेगा।
 - (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कुलसचिव, एच0पी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यवाही संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
 - (8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (9) प्रायोजन में प्रस्तोचित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
4. स्वीकृत धनराशि में से रु0 24.00 लाख पर होने वाला व्यय, चौथे वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-गृह्य निर्माण कार्य एवं रु 6.01 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14- हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-गृह्य निर्माण कार्य भूद के नामे खला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/एस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0वा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

महोदय,
(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-1/2018/4261/सीए-1-2017-9(बजट-7)/2011 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पवित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं इन्फार्मि) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रकल्पिता वेब साइट <http://shasanaदेश.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रधान,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
50वां शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कतिपय कार्यों के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-237/कुस०का०/2017, दिनांक 22.11.2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में कतिपय कार्यों के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्रांक-4809/सोलह-16-9(बजट-6)/2016टी.सी. दिनांक 03.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में सड़कों की मरम्मत के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रु 152.16 लाख के तापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु 76.08 लाख तथा इन्क्यूबेशन हॉल के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रु 121.95 लाख के तापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु 60.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में उपरोक्त अपेक्षित कार्यों के निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार अनुदान संख्या-47 में से रु 109.64 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 27.42 लाख अर्थात् कुल रु 137.06 लाख (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख छः हजार बीस) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रुपये लाख में)

क्र०	कार्य का विवरण	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	अनुदान संख्या-47	अनुदान संख्या-83
1	सड़कों की मरम्मत	76.08	60.86	15.22
2	इन्क्यूबेशन हॉल	60.98	48.78	12.20

नियंत्रक

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जावेगा प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
- (2) कार्य की विधि, लागू मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, ऐच०बी०टी०यू०, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।

- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एवं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पीओएलओएओ में नहीं रखी जायेगी।
- (6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कुलसचिव, एचओबीओटीओ, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एसओसीओएसओपीओ/टीओएसओपीओ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना में प्रस्तोचित सर्विस टैक्स के स्थान पर पीओएसओटीओ की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देना होगा।

4. स्वीकृत धनराशि में से ₹0 109.64 लाख पर होने वाला व्यय धातु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कलेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटनर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-बृहत निर्माण कार्य एवं ₹ 27.42 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटनर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-बृहत निर्माण कार्य मद को नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-गोपा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)

विशेष सचिव

संख्या-3/2018/4257/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।

3.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shastana.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Grant Letter of Rs. 230.29 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या-26/2018/1178/सोतह-1-2018-9(बजट-6)/2016

प्रेमक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
5090 शासन।

रोज में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तखलफ़ दिनांक: 26 मार्च, 2018

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें छात्र-छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-956/main(C)/18, दिनांक 09.03.2018 का संदर्भ में, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में 200 सीटें छात्र-छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. मुख्य है कि शासन के पत्र संख्या-4809/सोतह-18-9(बजट-6)/2016टी.सी. दिनांक 03.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रु 460.58 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रु 230.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटें छात्र-छात्रावास के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-47 में से रु 187.72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 42.57 लाख अर्थात् कुल रु 230.29 लाख (रुपये दो करोड़ तीस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहमं स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मात्रक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एवं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रस्तावित धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0ए0ए0 में नहीं रक्की जायेगी।
- (6) तैयार होस की धनराशि का मुगतान नियमानुसार ऋम विभाग को किया जायेगा।

- (7) अवशुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0जी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना में प्रस्तोचित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

4. स्वीकृत धनराशि में से रु 187.72 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रु 42.57 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)

विशेष सचिव

संख्या-26/2018/1178/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महानेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य निर्माण सहायरी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
- (8) अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 राज्य निर्माण सहायरी संघ लि0 (पैकफेड), निर्माण प्रबन्ध, कानपुर।
- (9) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

3.....

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।

- (10) वित्त नियंत्रक, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (11) प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- (13) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

अग्नि से,
(अवध किशोर)
अनु. सचिव

संख्या:- 30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018

विषयक,

डा० सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2018

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु0स0का0/2018 दिनांक 17.01.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹ 1000.00 लाख (रु दस करोड़ मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके नियंत्रण पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोजिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2....

- (6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धनराशियों के आगणन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (10) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय-साल वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-1202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-09 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक से उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक बी0एम0-9 प्रपत्र (भाग-1)

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)

विशेष सचिव

संख्या-30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018 तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- (8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (10) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
- (14) गाई फाइल।

आज से,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

कां. सं. 2017-18 (भाग-1)
 पुस्तकालयों की स्वीकृति के लिए आवेदन
 (बजट संशुद्धि का प्रसार-158 देखें)

(आवृत्ति का सं. कां. सं.)

अनुदान संख्या व नाम:- 47-प्रारंभिक शिक्षा विभाग

वित्तिय वर्ष: 2017-18

अनुदान संख्या व नाम:- 47-प्रारंभिक शिक्षा विभाग		वित्तिय वर्ष: 2017-18				
अनुदान संख्या व नाम:- 47-प्रारंभिक शिक्षा विभाग		वित्तिय वर्ष: 2017-18				
1	2	3	4	5	6	
संख्या व नाम (15 डिजिट कोड में) अर्थात् अनुदान	विवरण एवं हेतु के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	अनुदान एवं हेतु के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	समाप्त होने तक अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	वित्तिय वर्ष के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	समाप्त होने तक अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	
अनुदान सं. 47						
"4202-विभाग, संशुद्धि, कां. सं. तथा संशुद्धि पर पुस्तकालयों के विकास-02, लक्ष्मीदेवी शिक्षा-105 इलाहाबाद/लक्ष्मीदेवी कां. सं. तथा संशुद्धि-04-एनएन लक्ष्मीदेवी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, नौराजपुर-24-एनएन विभाग कां."	2000.00	600.00	600.00	600.00	1400.00	
"4202-विभाग, संशुद्धि, कां. सं. तथा संशुद्धि पर पुस्तकालयों के विकास-02, लक्ष्मीदेवी शिक्षा-105 इलाहाबाद/लक्ष्मीदेवी कां. सं. तथा संशुद्धि-16-एनएन लक्ष्मीदेवी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, नौराजपुर-24-एनएन विभाग कां."	900.00	400.00	400.00	400.00	500.00	
योग	2900.00	1000.00	1000.00	1000.00	1900.00	
158-प्रारंभिक शिक्षा विभाग						
संख्या व नाम (15 डिजिट कोड में) अर्थात् अनुदान	विवरण एवं हेतु के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	वित्तिय वर्ष के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	समाप्त होने तक अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	वित्तिय वर्ष के लिए अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	समाप्त होने तक अनुदान का प्रकार अनुदान/वित्तिय	
7						
अनुदान सं. 47						
"4202-विभाग, संशुद्धि, कां. सं. तथा संशुद्धि पर पुस्तकालयों के विकास-02, लक्ष्मीदेवी शिक्षा-105 इलाहाबाद/लक्ष्मीदेवी कां. सं. तथा संशुद्धि-05 इलाहाबाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग (नौराजपुर) के अंतर्गत अतिरिक्त संशुद्धि की स्थापना एवं इलाहाबाद-24-एनएन विभाग कां."	600.00	1600.00	1000.00	1000.00	1600.00	
योग	600.00	1600.00	1000.00	1000.00	1600.00	

- 1) संशुद्धि-1 में उपरोक्त बजट में अनुदान का प्रारंभिक शिक्षा विभाग, नौराजपुर में विभाजन करके हेतु प्रारंभिक अनुदान में हीत के कारण है।
- 2) संशुद्धि-3 में उल्लिखित अनुदान के संबंध संशुद्धि-3 में अतिरिक्त अर्थिक व्यय के कारण है।
- 3) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का संशुद्धि-158 व 151 में अतिरिक्त अर्थिक व्यय/वित्तिय/वित्तिय का अनुदान नहीं होता है।

(आवृत्ति का सं. कां. सं.)
 अनु. अधिकारी

आर.डि. संख्या :- 720/ई-11-530/दस-1018, दिनांक 29 मार्च, 2018
सेवा नं.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम..... (केशव प्रसाद)
दिल्ली शिक्षा,..... उप सचिव
दिल्ली शिक्षा विभाग

संख्या- 1160 (1)/सोल्ड-1-2018-9 (जएट-3)/2018, तद्विनांक-

परिसरिदि निम्नलिखित को सुधनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भक्ति:-

1. सम्बंधित कार्यलयपर्यक्त (निबंधक अधिकारी) कुलसचिव, स्कॉट वटलर प्रादेशिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. सम्बंधित कोषाधिकारी (द्वारा कुलसचिव)।
3. निदेशक, वित्तीय संचिक्यकी निदेशालय, जयपुर भवन, लखनऊ।
4. जिल (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियां में)

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
प्रादेशिक शिक्षा,.....


(आय अधिकारी)
अनु सचिव
प्रादेशिक शिक्षा विभाग

अनुदेश

- (1) प्रादेशिक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मल्टीय और भवित्त व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भवित्त व्यय से सम्बंधित प्रस्तावों में लेखाधीन के साथ कोष्ठक में शब्द "भवित्त" अंकित कर दिया जाय।
- (2) जिल लेखा शाखा में प्रभाव पड़ेगा उलना वर्णन धरेश्वर अनुमत्यां और अनुमत्यां में दिसें मरु वर्णन के अंशकय सेना चरिरे।
- (3) कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावण, अनुपूरक प्रावण और पुनर्विनियोग की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बंधित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुई हैं, को सविभक्ति किया जाय।
- (4) पत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में विं विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:- 31/2018/1095/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018टी.सी.

पेचक,

अवध किशोर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2018

विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु0स0का0/2018 दिनांक 17.01.2018 का संदर्भ में, जिसके द्वारा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु रु 340.00 लाख (रु तीन करोड़ चालीस लाख मात्र) पूर्णविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्रुगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

31/3/18
न/पा/18
Dr. Suresh
19/3/18

- (6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पीएलएल में नहीं रखी जायेगी।
 - (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।
 - (8) स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धनराशियों के आगमन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
 - (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
 - (10) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स को स्थान पर जीएसटी की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियोजनानुसार देय होगी।
 - (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य एआईसीटीई के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एससीएसपी/टीएसपी हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. उक्त पर होने वाली व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789 अनुसूचिज जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसी) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के-60/रा 40के+रा-24-वृत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बीएम० प्रपत्र-09 (पार०-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक से उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहल किया जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: बीएम०-9 प्रपत्र (भाग-1)

भवदीय,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

संख्या-31/2018/1095/सोलह-1-2018-शबजट-3/2018टी.सी. तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- (8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (10) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
- (14) गाई फाइल।

आज्ञा से,
(अवध किशोर)
अनु सचिव

English Translation of Highlighted items

No.-1/2018/4761/16-1-2017-9(budget-7)/2011

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University
Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 02 Jan, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction for construction of Nag drawing hole in the Main Building

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs. 30.00 Lakhs** (Thirty Lakhs only) which is sum of Rs. 24.00 Lakhs (Grant No.-47) and Rs. 6.01 Lakhs (from Grant No.-83) for the Construction for construction of Nag drawing hole in the Main Building of Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

English Translation of Highlighted items

No.-3/2018/4257/16-1-2017-9(budget-6)/2016

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University
Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 18 Jan, 2018

Subject: Regarding release of remaining grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for some construction work

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the remaining Grant of Total **Rs. 137.06 Lakhs** (One Crore, thirty-seven six thousand's only) which is sum of 109.64 Lakhs (Grant No.-47) and Rs. 27.42 Lakhs (Grant No.-83) for some construction work in Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

English Translation of Highlighted items

No.-26/2018/1178/16-1-2018-9(budget-6)/2016

Sender,

Mr. Surjan
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University
Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2018

Subject: Regarding release of remaining grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for some construction of 200 seated Girls Hostel

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the remaining Grant of Total **Rs. 230.29 Lakhs** (Two Crore, thirty Lakhs and twenty-nine thousand only) which is sum of Rs. 187.72 Lakhs (Grant No. 47) and Rs. 42.57 lakhs (Grant No.-83) for construction of 200 seated Girls Hostel in Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

English Translation of Highlighted items

No.-30/2018/1160/16-1-2018-9(budget-3)/2018

Sender,

Dr. Saroj Kumar
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University
Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 29 March, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion under RUSA Scheme

2. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs, 1000.00 Lakhs** (Ten Crore only) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion as a Central approved Grant under the Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiya (RUSA).

English Translation of Highlighted items

No.-31/2018/1095/16-1-2018-9(budget-3)/2018T.C.

Sender,

Mr. Awadh Kishore
Special Secretary
State Government, U.P.

To
Registrar
Harcourt Butler Technical University
Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 31 March, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion under RUSA Scheme

2. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs, 340.00 Lakhs** (3 Crore, forty lakhs only) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for the construction of Approved work as a Central Grant under the Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiya (RUSA).

Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 452.09 Lakhs received from University income



RAJIV MEHROTRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
H.O. : 3/3A, Vishnupuri, Kanpur - 208 002 • Tel. : 0512-2531806
Fax : 0512-2531806 • E-mail : rma.consult@gmail.com

To,
The Finance Controller,
Harcourt Butler Technical University,
Nawabganj, Kanpur

1. We have **compiled** the accompanying financial statements on the basis of information provided by the Management. These financial statements comprise the Balance Sheet of Harcourt Butler Technological University as at March 31, 2018, Income & Expenditure Account for the Period starting from 01.04.2017 to 31.03.2018 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
2. We performed this compilation engagement in accordance with Standard on Related Services 4410 (Revised), Compilation Engagements. We have complied with relevant ethical requirement and have completed the assignment on the basis of scope of work as discussed with the Management of Harcourt Butler Technological University.
3. The management of the Harcourt Butler Technological University, Kanpur is responsible for:
 - a) Completeness and accuracy of the underlying data and complete disclosure of all material and relevant information to the accountant.
 - b) Maintaining adequate accounting and other records and internal controls and selecting and applying appropriate accounting policies.
 - c) Preparation and presentation of financial statements in accordance with the applicable laws and regulations, if any.
 - d) Establishing controls to safeguard the assets of the University and preventing and detecting frauds or other irregularities.
 - e) Ensuring that the activities of the University are carried out in accordance with the applicable laws and regulations and preventing and detecting any non compliance.



**SCHEDULE FOR FIXED ASSETS -
COMPLETE DETAILS AVAILABLE IN VALUER REPORT-**

Sl.	Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Opening Balance	Addition	Sale/Transfer	Closing Balance	Opening Balance	Addition	Adjustment	Closing Balance	Closing Balance	Opening Balance
1	Building	988352367.72	11685185.00	0.00	1000037552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1000037552.72	988352367.72
2	Equipments	121906375.04	6385637.00	0.00	128292012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	128292012.04	121906375.04
3	Equipments-TEQUIP	0.00	26213048.00	0.00	26213048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26213048.00	0.00
4	Vehicles	3422411.88	0.00	0.00	3422411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3422411.88	0.00
5	Furniture & Fixtures	0.00	925508.00	0.00	925508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925508.00	0.00
6	Land	23759937000.00	0.00	0.00	23759937000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23759937000.00	23759937000.00
	Total	24873618154.64	45209378.00	0.00	24918827532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24918827532.76	24873618154.64


INTERNAL AUDITOR


REGISTRAR


ACCOUNTS OFFICER


FINANCE CONTROLLER

